

कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल :- govt.ayurvedicpharmacy@gmail.com दूरभाष एवं फ़ैक्स क्रं. - 0771-2263437


निविदा सूचना

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 717 दिनांक 24.06.2024

उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर (छ.ग.) की ओर से निर्माताओं तथा अधिकृत विक्रेताओं से पैकिंग सामग्रियां प्रदाय करने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करते हुए रुपये 500.00 नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त निविदा पत्र कार्यालय प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर की वेबसाइट www.gacraipurcg.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि,	दिनांक	24.07.2024	समय - सायं 04 बजे तक
निविदा ड्राक से प्राप्त होने/निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक	25.07.2024	समय - दोपहर 02 बजे तक
निविदा की अमानत राशि (ई.एम.डी.) लिफाफे खोलने की तिथि	दिनांक	25.07.2024	समय - दोपहर 03 बजे

स्थान :- कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी,
जी. ई. रोड, आयुर्वेदिक कॉलेज केम्पस, रायपुर (छ.ग.)


उपसंचालक, 24-6-24
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: निविदादाता हेतु निर्देश ::

शासकीय आयुर्वेद फार्मसी रायपुर के लिये निर्मित औषधियों के पैकिंग हेतु लगने वाले पैकिंग सामग्रियों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त हेतु टू बीड सिस्टम के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदादाता जो शासकीय अथवा कार्पोरेट संस्था से ब्लैक लिस्टेड है, वह निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। दिनांक 25.07.2024 को दोपहर 2:00 बजे तक कार्यालय उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर (छ.ग.) में जमा की जा सकेगी। निविदा उसी दिन उसी स्थान पर दोपहर 3:00 बजे अमानत राशि (ई.एम.डी) बीड (लिफाफा-ए), निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी अमानत राशि (ई.एम.डी.) एवं उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र सही पाये जाने पर निविदा प्रपत्र एवं प्राईज बीड (लिफाफा-बी) खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

निविदा स्वीकृत किये जाने के दिनांक से स्वीकृत निविदा एक वर्ष तक वैध रहेगा, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से आवश्यकतानुसार वृद्धि अथवा कम किया जा सकता है।

निविदादाता को निविदा दो पृथक-पृथक लिफाफों में जमा करनी होगी। प्रथम लिफाफे "ए" अमानत राशि (ई.एम.डी.) एवं उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र लिफाफे के उपर लाल स्याही से अंकित होना चाहिए तथा दूसरे लिफाफे "बी" में पैकिंग सामग्रियों के निविदा प्रपत्र एवं प्राईज बीड लाल स्याही से अंकित होना चाहिए एवं प्राईज एवं प्राईज बीड बंद लिफाफे में लिफाफा बी के अंदर ही होना चाहिए।


प्रत्येक पैकिंग सामग्रियों के पृथक-पृथक नमूना (सेम्पल) प्रस्तुत करना होगा।

1. प्रदेश की लघु एवं कृटीर उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है; के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक-54 पर परिभाषित है, निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाइट पर वैध पाया गया है, तथा सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ई.एम.डी.) जमा करने से छूट दी जावेगी।
2. आपूर्तिकर्ता को वर्ष 2023-24 जी.एस.टी. क्लियरेंस प्रमाण पत्र (3बी ही मान्य होगा) की अभिप्रमाणित प्रति एवं परिशिष्ट एक तथा दो लगाना अनिवार्य होगा। परिशिष्ट दो, बाध्य पत्र 100/- सौ रुपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
3. निविदा की अनुमानित राशि रु. 8,30,000 (आठ लाख तीस हजार रुपये) है। प्रत्येक निविदादाता को रुपये 8,300/- (आठ हजार तीन सौ रुपये मात्र) की अमानत राशि (ई.एम.डी.) जो राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपॉजिट के रूप में उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर के नाम देय होगी। सफल निविदाकार की अमानत राशि (ई.एम.डी.) को छोड़कर शेष निविदाकार की अमानत राशि वापसी योग्य होगी एवं सफल

निविदाकार की अमानत राशि (ई.एम.डी.) को सिक्क्यूरिटी डिपोजिट के रूप में बदल दी जावेगी।

4. प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त है ईकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसका परीक्षण किया जाकर नियमानुसार सुरक्षा निधि में छूट प्रदान की जावेगी।
5. 1. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 4.9 के अंतर्गत जी.एस.टी. का जीवित रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावे जिसमें निविदा में उल्लेखित सामाग्रियों के विक्रेता होने का स्पष्ट उल्लेख हो। 2. पेन कार्ड (जिसमें पेन नंबर अंकित हो), 3. विगत तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न, 4. नगर निगम में दुकान पंजीयन का प्रमाण पत्र, 5. निर्माता/निर्माता प्रतिनिधि होने का प्रमाण पत्र। 6. चेक लिस्ट।

उपरोक्त प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा।


उपसंचालक,

शासकीय आयुर्वेद फार्मसी,
रायपुर (छ.ग.)

:: निविदा की नियम / शर्तें ::

1. निविदा मूल प्रपत्र पर ही भरकर जमा करनी होगी छाया प्रतियां मान्य नहीं होंगी ।
2. आपूर्तिकर्ता को पैकिंग सामग्रियों की आपूर्ति के पूर्व 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर करारनामा (अनुबन्ध) नोटरी से रजिस्टर्ड कराया जाकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।
3. क्रय आदेश जारी होने के 01 माह के अंदर उक्त सामग्रियां प्रदाय नहीं किया जाता है तो क्रेता द्वारा 2% (दो प्रतिशत) प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ अवधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी ।
4. निविदादाता निविदा में पैकिंग सामग्रियों की दरें, जी.एस.टी. सहित भरें तथा दर एवं कर को पृथक-पृथक अंकित किया जावे इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि मान्य नहीं होगी ।
5. निविदा में भरे गये मूल्य में परिवर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा ।
6. निविदा, गुणवत्ता/न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत किये जायेंगे एवं आपूर्तिकर्ता को आदेशित सामग्रियां शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर (छ.ग.) में प्रदाय करना होगा। इस हेतु स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई व्यय नहीं दिया जावेगा। अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. प्रदायकर्ता फर्म को इस आशय का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि उसकी व्यापारिक संस्थान कहाँ स्थित है, जहाँ से वह माल प्रदाय करेगा।
8. पैकिंग सामग्रियों की मात्रा कम/अधिक की जा सकेगी अथवा उसे बिल्कुल न लेने के लिए भी उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर के पास अधिकार सुरक्षित होगा ।
9. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ रुपये 8,300/- (अक्षरी :- आठ हजार तीन सौ रुपये मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपॉजिट अमानत राशि (ईएम.डी) मनी के रूप में उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर के पक्ष में देय, निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दिया जावेगा। अस्वीकृत निविदादाता को अमानत राशि वापसी योग्य होगी। निविदा स्वीकृत होने पर यह धन राशि सुरक्षा निधि (सिक्यूरिटी डिपॉजिट) के रूप में बदल दिया जायेगा। यदि नियमानुसार सुरक्षा निधि अनुमानित मूल्य के 3 प्रतिशत होगी, अमानत राशि की राशि से अधिक होती है, तो अधिक राशि का बैंक ड्राफ्ट पृथक से जमा किये जाने पर ही प्रदायित सामग्रियां ग्रहण की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा में आवेशित सामग्रियां प्रदाय नहीं करने की स्थिति में शासन हित में इस राशि में से नियमानुसार राजसात की कार्यवाही की जावेगी। स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षा निधि राशि निविदा के वैधता तिथि समाप्त होने के पश्चात् वापस की जावेगी।
10. आदेशानुसार पैकिंग सामग्रियां प्रदाय करने पर सुरक्षा निधि बिना ब्याज के आपूर्तिकर्ता को वापस कर दी जावेगी।
11. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। एक लिफाफे में अमानत राशि (ईएमडी) अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र एवं पैकिंग सामग्रियों की प्राईज बीड होगा।
12. प्रदायकर्ता फर्म की नियमानुसार सुरक्षानिधि (सिक्यूरिटी डिपॉजिट) की राशि अमानत राशि की राशि से अधिक होने की स्थिति में उक्त अधिक राशि का अंतर की राशि का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपॉजिट, जो उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर के पक्ष में देय हो तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा पर आवेशित पैकिंग सामग्रियां प्रदाय नहीं करने की स्थिति में शासन हित में इस राशि को राजसात कर लिया जावेगा।
13. प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त है, उसकी परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जावेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना होगा ।

14. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 13.1 के अनुसार दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहत एवं राज्य के बाहर स्थित ईकाईयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु उद्योग ईकाईयों को 10% (दस प्रतिशत) की मूल्य अधिमाम्यता प्रदान की जावेगी ।
15. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 13.2 स्थानीय लघु उद्योग ईकाईयों को राज्य के बाहर स्थित ईकाईयों की तुलना में 5% (पांच प्रतिशत) की क्रय अधिमाम्यता प्रदान की जावेगी ।
16. अन्य बातें समान रहने पर आई. एस. आई. तथा आई. एस. ओ. 9000 प्रमाण पत्र प्राप्त ईकाईयों को प्रदाय देने में प्राथमिकता दी जायेगी ।
17. छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 14.1 राज्य में स्थित बी.आई.एस. प्रमाण-पत्र धारी लघु उद्योग ईकाई को राज्य के बाहर स्थित ईकाई की तुलना में 10% (दस प्रतिशत) की अधिमाम्यता दी जायेगी ।
18. राज्य से बाहर स्थित निविदाकारों द्वारा निविदा में दी गई दरों की तुलना, राज्य में वाणिज्यकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निविदाकारों द्वारा दी गई दरों में छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर को छोड़कर की जावेगी ।
19. परिशिष्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता की मुद्रा व हस्ताक्षर आवश्यक है। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
20. सुरक्षानिधि नगद में प्राप्त नहीं की जावेगी। निविदाकार को सुरक्षानिधि चालान से लेखा शीर्ष "8443 सिविल जमा राशियाँ" 103 - प्रतिभूति जमा" में शासकीय खजाने में/उपखजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय लेन-देन होता है जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा या राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपोजिट द्वारा जमा की जा सकती है ।
21. निविदा मुहरबंद लिफाफे में बंद कर कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी जी. ई. रोड, आयुर्वेदिक कालेज केम्पस, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड 492010 के पते पर रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एंड.टी. विभाग से अधिकृत कोरियर अथवा उपस्थित होकर जमा की जा सकता है ।
22. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदायें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर के पास सुरक्षित होगा। इस संबंध में कोई विवाद या सवाल मान्य नहीं होगा।
23. निविदा अहस्तांतरणीय होगी।
24. केवल वाणिज्यिक कर विभाग में जी.एस.टी. पंजीकृत फर्मों से ही क्रय किया जावेगा।
25. निविदा विलंब से प्राप्त होने पर मान्य नहीं होगी ।
26. आपूर्तिकर्ता भुगतान में विलंब होने पर किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं करेगा, एवं न ही किसी प्रकार का ब्याज देय होगा ।
27. भुगतान वेण्डर पेमेंट से देय होगा एवं शासन नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. का कटौती किया जावेगा।
28. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी रायपुर (छ.ग.) का निर्णय अंतिम होगा एवं न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा ।


उपसंचालक,

शासकीय आयुर्वेद फार्मसी
रायपुर (छ.ग.)

प्रति,

विषय :- पैकिंग सामग्रियां प्रदाय हेतु निविदा ।

महोदय,

मैंने/हमने ठेके (निविदा) की पूर्ति से संबंधित नियमावली के समस्त नियम पढ़ लिये है, मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें निविदा की समस्त नियम/शर्तें मान्य है व निविदा उन्हीं शर्तों को स्वीकार करते हुये, भरा गया है।

स्थान -

दिनांक -

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर

नाम _____

पूरा पता _____



उप संचालक

शरसकीय आयुर्वेद फार्मसी

रायपुर (छ.ग.)

(सौ रूपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

बाध्य पत्र

मैंने/हमने पैकिंग सामाग्रियां प्रदाय हेतु निविदा नियमों/शर्तों को स्वीकार करते हुये भरी है, इस संबंध में मैं/हम इकरार करता हूं/करते है, कि भरी गई निविदा के स्वीकार किये जाने पर निविदा नियमों/शर्तों के अनुसार मैं/हम पैकिंग सामाग्रियां प्रदाय हेतु बाध्य हूं/है।

मुझे/हमें यह स्पष्ट है, कि प्रदाय आदेश जारी होने के उपरांत यह अनुबंध हो जायेगा तथा संबंधित प्रदाय आदेश में दी गई शर्तों व नियमों को मानने के लिये मैं/हम बाध्य हूंगा/होंगे।

मैं/हम इकरार करता हूं/करते हैं कि पैकिंग सामाग्रियां प्रदाय हेतु अनुबंध के 01 माह के अंदर क्रयकर्ता द्वारा आदेश में दर्शाये गये पते पर प्रदाय करूंगा/करेंगे। जिसमें होने वाला व्यय मेरे/हमारे द्वारा वहन किया जावेगा।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई निविदा इस बाध्य-पत्र का अंश समझी जावेगी।

स्थान -

दिनांक -

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर

नाम-_____

पूरा पता _____

गवाहों के हस्ताक्षर
(नाम व पूर्ण पते सहित)



उप संयालक
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी
रायपुर (छ.ग.)

1.

2.

चेक लिस्ट

क्रमांक	विवरण	पेज क्रमांक
1	फर्म का नाम एवं पूर्ण पता	
2	परिशिष्ट एक	
3	परिशिष्ट दो बाध्य पत्र सौ रुपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत	
4	जी.एस.टी. का जीवित रजिस्ट्रेशन की अभिप्रमाणित प्रति	
5	जी.एस.टी. क्लीयरेंस वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति	
6	पेन कार्ड (जिसमें पेन नंबर अंकित हो) की अभिप्रमाणित प्रति	
7	विगत तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित प्रति	
8	नगर निगम में दुकान के पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति	
9	निर्माता/निर्माता प्रतिनिधि होने संबंधी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति	



उप सचालक

शरसकीय आयुर्वेद फार्मसी

रायपुर (छ.ग.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
सील

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक माह..... वर्ष..... को प्रदाय की जाने वाली पैकिंग सामाग्रियों के अधिकृत विक्रेता श्री/श्रीमति फर्म का नाम..... पता..... (इसके पश्चात् इन्हें

विक्रेता/प्रदायकर्ता (सलायर) कहा जावेगा) तथा छ.ग.शासन की ओर से उपसंचालक,शासकीय आयुर्वेद फार्मसी,रायपुर (इसके पश्चात् इन्हें क्रेता/क्रयकर्ता कहा जायेगा) के बीच किया जाता है। इसे निविदा का एक अंश समझा जावेगा।

मैंने/हमने पैकिंग सामाग्रियां प्रदाय हेतु निविदा नियमों /शर्तों को स्वीकार करते हुये भरी है, इस संबंध में मैं/हम इकारार करता हूं/करते हैं, कि भरी गई निविदा के स्वीकार किये जाने पर निविदा नियमों/शर्तों के अनुसार मैं/हम पैकिंग सामाग्रियां प्रदाय हेतु बाध्य हूं/हैं।

मुझे/हमें यह स्पष्ट है कि प्रदाय आदेश जारी होने के उपरांत अनुबंध हो जायेगा तथा संबंधित प्रदाय आदेश में दी गई शर्तों व नियमों को मानने के लिये मैं/हम बाध्य हूंगा/होंगे।

मैं/हम इकारार करता हूं/करते हैं कि पैकिंग सामाग्रियां प्रदाय हेतु अनुबंध के 01 माह के अंदर क्रयकर्ता द्वारा आदेश में दर्शाये गये पते पर प्रदाय करूंगा/करेंगे। जिसमें होने वाला व्यय मेरे/हमारे द्वारा वहन किया जावेगा।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई निविदा इस बाध्य-पत्र का अंश समझी जावेगी।

स्थान -
दिनांक -

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर
नाम-_____

पूरा पता _____

गवाहों के हस्ताक्षर
(नाम व पूर्ण पते सहित)



उप संचालक
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी
रायपुर (छ.ग.)

1.

2.

पैकिंग सामग्रियों के प्रदाय हेतु निविदा प्रपत्र (प्राईज बीड)

कर्म का नाम


कर्म का पता

फोन नं.

टीन नं./जी.एस.टी. नं.

नोट:- प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर एवं फर्म की सील होना आवश्यक है ।

क्र.	सामग्री का नाम	स्पेसीफिकेशन, साईज आदि	दर प्रति	कर (जी.एस.टी.)	कुल मूल्य
1	एच.डी.पी.ई. प्लास्टिक डिब्बा ढक्कन सहित	1. क्षमता 1500 एम.एल. एच.डी.पी.ई. प्लास्टिक डिब्बा फुड ग्रेड डिब्बे की ऊंचाई 18.50 से.मी., गोलाई 35.50 से.मी. ढक्कन की ऊंचाई 01.75 से.मी., गोलाई 33.00 ढक्कन सहित वजन लगभग 75.00 ग्राम ढक्कन पर शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर छ.ग. अंकित करते हुए बीच में खरल मूसल का मोनो देना है। 2. क्षमता 1000 एम.एल. एच.डी.पी.ई. प्लास्टिक डिब्बा फुड ग्रेड डिब्बे की ऊंचाई 15.00 से.मी., गोलाई 35.00 से.मी. ढक्कन की ऊंचाई 01.75 से.मी., गोलाई 29.50 ढक्कन सहित वजन लगभग 67.00 ग्राम ढक्कन पर शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर छ.ग. अंकित करते हुए बीच में खरल मूसल का मोनो देना है। 3. क्षमता 750 एम.एल. एच.डी.पी.ई. प्लास्टिक डिब्बा फुड ग्रेड डिब्बे की ऊंचाई 15.00 से.मी., गोलाई 30.00 से.मी. ढक्कन की ऊंचाई 01.75 से.मी., गोलाई 25.00 ढक्कन सहित वजन लगभग 62.00 ग्राम ढक्कन पर शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर छ.ग. अंकित करते हुए बीच में खरल मूसल का मोनो देना है। 4. क्षमता 100 एम.एल. एच.डी.पी.ई. प्लास्टिक डिब्बा फुड ग्रेड डिब्बे की ऊंचाई 7.00 से.मी., गोलाई 21.00 से.मी. ढक्कन की ऊंचाई 01.50 से.मी., गोलाई 22.00 ढक्कन सहित वजन लगभग 20.00 ग्राम ढक्कन पर शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर छ.ग. अंकित करते हुए बीच में खरल मूसल का मोनो देना है।			
2	कांच का बाटल एयरटूट ढक्कन सहित	1. क्षमता 500 एम.एल. अंबर कलर ढक्कन पर शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, रायपुर छ.ग. अंकित करते हुए बीच में खरल मूसल का मोनो देना है।			



उपसंचालक, 24/6/24
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी
रायपुर (छ.ग.)